

22-04-18

आवेदिका मंजू सहित अधिवक्ता श्री गब्बरसिंह गुर्जर।

अनावेदक मनोज सहित अधिवक्ता श्री उदलसिंह गुर्जर।

उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा करना बताया। अतः प्रकरण आज लोक अदालत में पेशी में लिया गया।

आवेदिका की ओर से राजीनामा हेतु अनुमति आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। आवेदिका की पहचान अधिवक्ता श्री जी0एस0 गुर्जर एवं अनावेदक की पहचान अधिवक्ता श्री उदलसिंह गुर्जर ने की।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

आवेदिका ने स्वयं तथा नाबालिग संतान की ओर से अनावेदक से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है तथा प्रकरण समाप्त किए जाने का निवेदन किया है।

अनावेदक के विरुद्ध आवेदिका द्वारा भरण पोषण राशि की वसूली हेतु प्रस्तुत किया था। राजीनामा के अनुसार अनावेदक आवेदिका और उसके नाबालिग संतान का भरण पोषण करता रहेगा तथा उन्हें साथ रखेगा। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। राजीनामा अनुसार प्रकरण समाप्त किया जाता है।

आगामी दिनांक निरस्त की गयी।

आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य

सदस्य

पीठासीन अधिकारी